

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,**  
**कचांदुर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490024**

E-Mail [emmedicalcollege@gmail.com](mailto:emmedicalcollege@gmail.com)

(पूर्व नाम- चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय)

क्रमांक/चं.चं.शा.चि.मा./2025/90

दुर्ग, दिनांक 08/01/2025

**सीमित निविदा सूचना (Quotation Notice)**  
**(वाहन (BUS CG 07 E 1134) मरम्मत से संबंधित)**

चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर दुर्ग की वाहन-बस, क्रमांक **CG 07 E 1134** जो महाविद्यालय परिसर में खड़ी है में मरम्मत कार्य कराया जाना है जिस हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। वाहन के मरम्मत कार्य का विवरण निम्नानुसार हैं :-

1. वाहन में सम्पूर्ण सीटों के नीचे का फर्श को खोलकर प्लाई, नट-बोल्ट, मेटिंग एवं सीट फिटिंग।
2. सभी खिड़कियों के कॉच फ्रेम में रबर लगाना, जाली में रंगाई एवं बम्पर मरम्मत करना।
3. सीट में रेगजीन लगाना (45 मीटर)
4. सीट के नीचे प्लाई लगाने का कार्य
5. सीटों की सिलाई एवं फिटिंग।


उक्त मरम्मत कार्य पर लगने वाली सामग्री/उपकरण/लेबर चार्ज सहित दर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें :-

क्र.	मरम्मत कार्य का विवरण	लगने वाले सामग्री/उपकरण की मात्रा	दर प्रति नग	GST	कुल राशि रु.
1	2	3	4	5	7

**अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन दर मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।**

**नियम एवं शर्त:-**

1. कोटेशन में दर के साथ करो का स्पष्ट उल्लेख करे साथ ही, दर अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित करें।
2. जी.एस.टी. पंजीकरण विवरण तथा फर्म का वेंडर डिटेल्स संलग्न करें।
3. फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
4. आदेश जारी होने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर वाहन महाविद्यालय से लेजाने तथा मरम्मत उपरान्त वापस महाविद्यालय छोड़ने की जिम्मेदारी संबंधी फर्म की होगी, ऐसा न किये जाने पर आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
5. लिफाफे के उपर कोटेशन क्रमांक एवं विषय का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है।
6. प्रस्तुत किये गये कोटेशन दर एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
7. दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।
8. सामग्री के वर्णित दर MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक नहीं होना चाहिए।

  
अधिष्ठाता,  
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय  
चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,**  
**कचांदुर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490024**

E-Mail [cmmedicalcollege@gmail.com](mailto:cmmedicalcollege@gmail.com)

(पूर्व नाम- चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय)

क्रमांक / चं.चं.शा.चि.मा. / 2025 / 91

दुर्ग, दिनांक 08/01/2025

**सीमित निविदा सूचना (Quotation Notice)**

**(वाहन (BUS CG 07 E 1187) मरम्मत से संबंधित)**

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर दुर्ग की वाहन-बस, क्रमांक CG 07 E 1187 जो महाविद्यालय परिसर में खड़ी है में मरम्मत कार्य कराया जाना है जिस हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। वाहन के मरम्मत कार्य का विवरण निम्नानुसार हैं :-

1. वाहन में सम्पूर्ण सीटों के नीचे का फर्श को खोलकर प्लाई, नट-बोल्ट, मेटिंग एवं सीट फिटिंग।
2. सभी खिड़कियों के कॉच फ्रेम में रबर लगाना, जाली में रंगाई एवं बम्पर मरम्मत करना।
3. सीट में रेग्जीन लगाना।
4. सीट के नीचे प्लाई लगाने का कार्य
5. सीटों की सिलाई एवं फिटिंग।


उक्त मरम्मत कार्य पर लगने वाली सामग्री/उपकरण/लेबर चार्ज सहित दर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें :-

क्र.	मरम्मत कार्य का विवरण	लगने वाले सामग्री/उपकरण की मात्रा	दर प्रति नग	GST	कुल राशि रु.
1	2	3	4	5	7

**अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन दर मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।**

**नियम एवं शर्तः:-**

1. कोटेशन में दर के साथ करो का स्पष्ट उल्लेख करे साथ ही, दर अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित करें।
2. जी.एस.टी. पंजीकरण विवरण तथा फर्म का वेंडर डिटेल्स संलग्न करें।
3. फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
4. आदेश जारी होने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर वाहन महाविद्यालय से ले जाने तथा मरम्मत उपरान्त वापस महाविद्यालय छोड़ने की जिम्मेदारी संबंधी फर्म की होगी, ऐसा न किये जाने पर आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
5. लिफाफे के उपर कोटेशन क्रमांक एवं विषय का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है।
6. प्रस्तुत किये गये कोटेशन दर एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
7. दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।
8. सामग्री के वर्णित दर MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक नहीं होना चाहिए।

  
अधिष्ठाता,

चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय  
चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग